

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में स्वाट /एस0ओ0जी0 /सर्विलांस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 16.02.2024 को जरिये मुखबिर की सूचना पर पता चला कि पुलिस भर्ती परीक्षा में एक गैंग सक्रिय है तथा गैंग के ही एक सक्रिय सदस्य अमित सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी-बगली पिंजड़ा, थाना-सरायलखन्सी जनपद मऊ परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न पत्र आउट कराकर नकल कराने के सम्बन्ध में अपने एजेन्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों से उनके प्रवेश पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र, चेक, आधार कार्ड व निर्धारित एडवांस वसूलने की फिराक में है । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मय फोर्स व स्वाट, एस0ओ0जी0 की टीम द्वारा संगीत पैलेस वाली गली आर0के0 कन्सल्टेन्सी पर एकबारगी दबिस दी गयी तो 05 व्यक्ति दिखे जो पुलिस वालों को देखकर इधर उधर भागने लगे जिन्हे घेर घार कर पकड़ लिया गया । मौके से रविकान्त पाण्डेय , जो रणजीत पाण्डेय स्मारक महिला महाविद्यालय के संचालक है जो आर0के0 कन्सल्टेन्सी का भी संचालक है, जहाँ पर समस्त उपरोक्त फर्जीवाड़े संचालित हो रहे थे , जो फरार है , जिसके निर्देशन में उपरोक्त गैंग कार्य कर रहा है । कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताये कि हम लोगों द्वारा फोटो मिक्सिंग कर फर्जी आई0डी0 बनाकर अभ्यर्थियों से 04 लाख रुपये से 09 लाख 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम:-

1. अमित सिंह पुत्र जलभरत सिंह निवासी बगली पिंजड़ा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. शत्रुघन यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी गाँई थाना मरदह जनपद गाजीपुर
3. सोनू उर्फ सिद्धार्थ कुमार पुत्र रोहित राम निवासी पिन्डोरी थाना हलधरपुर जनपद मऊ
4. सुनील राजभर पुत्र महेन्द्र राजभर निवासी दादनपुर अहिरौली थाना घोसी जनपद मऊ
5. राम करन पुत्र स्व0 फिरतूराम निवासी असलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

अभियुक्तगण से बरामद दस्तावेज-

1. 11 अदद चेक (विभिन्न बैंको के)
2. 32 अदद ओरिजनल मार्कशीट / सार्टिफिकेट
3. 03 अदद आय प्रमाण पत्र ओरिजनल
4. 03 अदद आधार कार्ड ओरिजनल
5. 11 अदद मोबाइल फोन
6. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र दृसी
7. 03 अदद डेस्कटाप
8. 02 अदद लैपटाप
9. 05 अदद मोटर साइकिल

10. 05 अदद मानीटर
11. 03 अदद सी0पी0यू0
12. कई शासकीय अधिकारियों के मुहर

चोरी के एक मोबाइलफोन के साथ 02 चोर गिरफ्तार-

दिनांक 15.02.2024 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बरलाई मोड़ के पास से प्रकाश में आये अभियुक्तगण अविनाश रंजन राजभर पुत्र रामवृक्ष राजभर निवासी कांशीराम आवास मतलुपुर, दिपक यादव पुत्र संजय यादव निवासी मतलुपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक मोबाइलफोन(रियलमी) बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/24 धारा 379 पंजीकृत किया गया था, उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया।

एक जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 15.02.2024 को थाना रामपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कन्धरापुर से जिलाबदर अभियुक्त अनिरुद्ध यादव पुत्र स्व0 तपेश्वर यादव निवासी कन्धरापुर थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 12/24 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 15.02.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 33/24 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अंकित वर्मा पुत्र दिनेश वर्मा निवासी कस्बा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।